प्ररूप–ड.
(नियम 7(2)देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

हरीशचन्द्र तिवारी, उम्र 52 वर्ष
पिता श्री श्याम सुंदर लाल तिवारी, वर्ग सामान्य
ग्राम जोंधरा, पटवारी हल्का नं0 15
तहसील पचपेड़ी, थाना पचपेड़ी,
जिला–बिलासपुर,छ.ग.

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

–:0:–

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक–08.10.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक–11.04.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक–03.03.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

ग्राम जोंधरा, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं. चिल्हाटी, तहसील पचपेड़ी, जिला–बिलासपुर स्थित आवेदक का मकान व कोठार ग्राम की आबादी भूमि खसरा नंबर 551–573 पर अवस्थित है, जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में राजू चंदेल का मकान, पूर्व में गली, तथा पश्चिम में गली स्थित है। आवेदक के कोठार के पश्चिम में निर्मित बाऊण्ड्रीवाल से लगा हुआ 25 वर्ष पुराना सागौन वृक्ष के 04 नग, तथा दक्षिण बाऊण्ड्रीवाल से लगा 01 नग पुराना वृक्ष है, जो कि गली के ऊपर से गुजरी विद्युत तार से सटा हुआ है। भविष्य में दुर्घटना की आशंका होना, राजस्व विभाग के संयुक्त जॉच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नंबर 551 एवं 573, ग्राम जोंधरा, प.ह.नं. 15, तहसील पचपेड़ी स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन वृक्ष पुराना एवं संख्या (क्रमशः) 05 (पॉच नग) है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन्) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पान नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
मस्तूरी, जिला–बिलासपुर,छ.ग.
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील पचपेड़ी, जिला–बिलासपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.),
मस्तूरी, जिला–बिलासपुर,छ.ग.
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)